इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जनवरी 2015—पौष 19, शक 1936

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 3-49-2014-तेरह.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 180 की उपधारा (2) के खण्ड (ठ) के साथ पठित धारा 143 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच संस्थित करने के लिये प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जाँच करने की रीति) नियम, 2014 है;

(2) ये नियम, मध्यप्रदेश राजपत्र में, उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36);

(ख) ''न्यायनिर्णायक अधिकारी'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (1) के अधीन मध्यप्रदेश विद्युत् विनियामक आयोग द्वारा न्यायनिर्णायक अधिकारी;

(ग) ''आयोग'' से अभिप्रेत है विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन गठित मध्यप्रदेश विद्युत् विनियामक आयोग;

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्ति के, जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमश: उन्हें दिए गए हैं.

3. **न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने की रीति.**—(1) जब कभी आयोग, धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करता है, तब नियुक्ति आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी.

(2) अधिनियम के अधीन जांच करने में, न्यायनिर्णायक अधिकारी, प्रथमत: संबंधित व्यक्ति को एक सूचना उससे अपेक्षा करते हुए जारी करेगा कि ऐसी सूचना के जारी होने की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, कारण बताएं कि क्यों न उसके विरूद्ध जांच की जाए.

(3) उप नियम (2) के अधीन प्रत्येक सूचना में किए गए अभिकथित उल्लंघन की प्रकृति दर्शित होगी.

(4) यदि संबंधित व्यक्ति द्वारा दर्शाए गए कारणों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् न्यायनिर्णायक अधिकारी की यह राय है कि जांच की जानी चाहिए, वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा. उस व्यक्ति की या तो व्यक्तिगत रूप से या तो प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थिति के लिये तारीख नियत करने के लिए सूचना जारी करेगा.

(5) न्यायनिर्णयक अधिकारी संबंधित व्यक्ति को ऐसे साक्ष्य, जो वह जांच के लिये सुसंगत तथा आवश्यक समझे, प्रस्तुत करने के लिये अवसर देगा.

(6) यदि कोई व्यक्ति उप नियम (2) के अधीन तथा अपेक्षित किए गए अनुसार न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने से असफल रहता है, उपेक्षा या इंकार करता है, तो न्यायनिर्णयक अधिकारी को कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच की कार्यवाही करने की शक्ति होगी.

(7) न्यायनिर्णायक अधिकारी, जांच करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथासंभव उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी कि आयोग के समक्ष कार्यवाही में उसकी शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उसके कृत्यों के निर्वहन में की जाती है.

(8) न्यायनिर्णायक अधिकारी, यथासंभव, संबंधित व्यक्ति को सूचना जारी करने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर जांच पूर्ण करेगा.

(9) जहां जांच उपरोक्त कालावधि के भीतर पूर्ण नहीं होती है, न्यायनिर्णायक अधिकारी लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् आयोग के अध्यक्ष से आठ दिनों से अनधिक आगामी कालावधि बढ़ाने की मांग कर सकेगा.

(10) जांच पूर्ण होने पर न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाहियों के साथ अपनी जांच का निष्कर्ष आयोग को पन्द्रह दिनों के भीतर देगा.

No.F-3-49-2014-XIII.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of sub-section (2) of Section 180 read with sub-section (1) of Section 143 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, hereby, makes the following rules regulating the procedure for holding the inquiry by an Adjudicating Officer, namely :—

RULES

1. **Short title and Commencement.—**

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Manner of Holding Inquiry by Adjudicating Officer) Rules, 2014;

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definition.—**

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) ''Act'' means the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003);

(b) "Adjudicating Officer" means the Adjudicating Officer appointed by Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission under sub-section (1) of Section 143 of the Act;

(c) "Commission" means Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission constituted under the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003).

(2) Words and expression used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in that Act.

3. **Manner of holding Inquiry by Adjudicating Officer.**—(1) Whenever commission appoints an adjudicating officer under sub-section (1) of Section 143, a copy of the appointment order shall be provided to the person concerned.

(2) In holding an inquiry under the Act, the Adjudicating Officer shall, in the first instance, issue a notice to the person concerned requiring him to show cause, within twenty one days from the date of issue of such notice, as to why an inquiry should not be held against him.

(3) Every notice under sub-rule (2) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.

(4) If, after considering the reasons if any, shown by concerned person or where no reason is shown, the Adjudicating Officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall for feasons to be recorded in writing, issue a notice for fixing a date for the appearance of that person either personally or through an authorized representative.

(5) The Adjudicating Officer shall give an opportunity to the concerned person to produce such evidence as he may consider relevant and necessary for the inquiry.

(6) If any person fails, neglects or refuses to apear before the Adjudicating Officer as required under sub-rule (2), the Adjudicating Officer shall have power to proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

(7) The Adjudicating Officer, while holding an inquiry, shall follow as far as possible, the same procedure as is followed in the proceedings before the Commission in exercise of its powers and in discharge of its functions under the provisions of the said Act.

(8) The Adjudicating Officer shall complete the inquiry as for as possible, within ninety days from the date of issue of notice to the concerned person.

(9) Where the inquiry may not be completed within the aforesaid period, the Adjudicating Officer may, after recording reasons in writing, seek extension of time from the Chairperson of the Commission for a further period not exceeding sixty days.

(10) Upon completion of the inquiry the Adjudicating Officer shall place his findings of enquiry along with proceedings to the Commission within fifteen days.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. धारीवाल, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2015

क्र. एफ-2-1-2013-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भूमि व्यपवर्तन नियम, 1962 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे कि राज्य सरकार, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 172 के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (इकतालीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त संहिता की धारा 172 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना का प्रकाशन होने की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप संशोधन पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो कि संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में, किसी भी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4 के उपनियम (3), (4) एवं (5) का लोप किया जाए.

2. नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"10 (1) यदि कोई भूमिस्वामी अपने खाते की भूमि या उसका अंश व्यपवर्तित कराना चाहता है और,—

(क) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 172 के अधीन उपखण्ड अधिकारी को अनुज्ञा के लिये आवेदन करता है और जो अनुज्ञा दे देता है या उक्त संहिता की धारा 172 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन अनुज्ञा दे दी गई समझी गई हो; या

(ख) उक्त संहिता की धारा 172 की उपधारा (1) के द्वितीय या तृतीय परन्तुक के अंतर्गत अपने आशय की लिखित सूचना उपखण्ड अधिकारी को दे देता है,

तो उपखण्ड अधिकारी, उक्त संहिता की धारा 59 के अधीन प्रीमियम के अधिरोपण और निर्धारण के पुनरीक्षण के लिये बनाए गए नियमों के अधीन मामले को पंजीकृत करेगा और आवेदक को इन नियमों से संलग्न प्ररूप-क में लिखित में इसकी सूचना देगा और पंजीकृत किए गए मामले का, उक्त संहिता की धारा 59 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उसके पंजीकरण की तारीख से तीस दिन के भीतर विनिश्चय करेगा."

3. नियम 12 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"प्ररूप-क

(नियम 10 के अधीन)

(भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 59 के अधीन मामले के पंजीकरण की सूचना)

कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, ... जिला . . . . मध्यप्रदेश

प्रति,

श्री/श्रीमती/कु. . . . .
पुत्र/पुत्री/पत्नी . . . .
निवासी . . . .
डाकघर . . . .
तहसील . . . . जिला . . . . मध्यप्रदेश

विषय :—भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 59 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारण हेतु व्यपवर्तन के मामले के पंजीकरण की सूचना.

आपकी सूचना के अनुसार आपको यह संसूचित किया जाता है कि ग्राम . . . . पटवारी हल्का नं. . . . . राजस्व निरीक्षक वृत्त नं. . . . . तहसील . . . . जिला . . . . की आपके

द्वारा धारित भूमि, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 172 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन/सूचना के अनुसार जो इस न्यायालय को प्राप्त हुआ/हुई है, ऐसे आवेदन/ऐसी सूचना के आधार पर, व्यपवर्तित कर दी गई समझी जाकर उक्त संहिता की धारा 59 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रीमियम के अधिरोपण तथा निर्धारण के पुनरीक्षण के लिए मामला इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक . . . ./20. . . पर पंजीकृत कर लिया गया है.

स्थान :

तारीख : मुद्रा उपखण्ड अधिकारी

. . . .

जिला . . . ."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2015

क्र. एफ-2-1-2013-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-2-1-2013-सात-शा. 6, दिनांक 8 जनवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण तिवारी, प्रमुख सचिव.

NOTICE

Bhopal, the 8th January 2015

The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Diversion of Land Rules, 1962 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (xli) of sub-section (2) of Section 258 read with section 172 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) is hereby published as required by sub-section (3) of Section 172 of the said Code, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft amendment shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENTS

In the said rules,—

1. Sub-rule (3), (4) and (5) of rule 4 shall be omitted.

2. For rule 10, the following rule shall be substituted, namely—

"10. If a Bhumiswami wishes to divert his holding or part thereof and,—

(a) applies for permission to the Sub-Divisional Officer under section 172 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and who grants the permission or the permission is deemed to have granted under first proviso of sub-section (1) of Section 172 of the said Code; or

(b) gives a written information of his intention to the Sub-Divisional Officer under second or third proviso of sub-section (1) of Section 172 of the said Code;

the Sub-Divisional Officer shall register a case under the rules made under section 59 of the said Code for imposition of premium and alteration of assessment and intimate it, in writing to the applicant, in Form-A appended to these rules and shall decide the case registered, in accordance with the rules made under section 59 of the said Code, within thirty days from the date of its registration.''

3. After rule 12, the following Form shall be added, namely :—

"FORM-A

(under rule 10)

(Intimation of registration of the case under section 59 of the Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959)

OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER . . . . DISTRICT . . . . MADHYA PRADESH

To,

Shri/Smt/Ku . . . .

Son/Daughter/Wife of . . . .

Resident of . . . .

Post Office . . . .

Tehsil . . . . District . . . . Madhya Pradesh.

Sub : Intimation of registration of case of diversion for assessment under rules made under section 59 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

According to your intimation, it is comunicated to you that the land bearing Khasra No. . . . . admeasuring . . . . Hectare of Village . . . . P. H. No. . . . . R. I. Circle No. . . . . . . Tehsil . . . . District . . . . belonging to you as per your application/intimation presented under sub-section (1) of Section 172 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) has been received in this Court and on the ground of deemed diversion/such intimation, such land has been diverted and a case for imposition of premium and alteration of assessment as per rules made under section 59 of the said Code has been registered as case No. . . . . /20 . . . . of this Court.

Place :

Dated : Seal

Sub-Divisional Officer

. . . .

District . . . .".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.